कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता गंगनहर ओ.एफ.डी खण्ड–II सि.क्षे.वि. श्रीगंगानगर

क्रमांकः–लेखा / 2017–18 / दिनांकः–

ई–निविदा सूचना सं. 06 / 2017–18

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए सक्षम क्षेणी में पंजीकृत फर्मो / संवेदको जो की राजस्थान सरकार के "बी" "सी" श्रेणी इस विभाग में पंजीकृत एवं अन्य विभाग में "ए" श्रेणी या इससे उपर की श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो से निर्धारित प्रपत्र मे ई–टेडिंरिंग प्रकिया द्वारा आॅनलाईन निविदा आमन्त्रित की जाती है।

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि रू लाखो में)	धरोहर राशि रूपयो में		ई–टेण्डिरिंग प्रकिया शुल्क रूपयो में	निविदा शुल्क रूपयें मे	कार्य पूर्ण करने की अवधि
			2 %	1/2 %			
1	2	3	4	5	6	7	8
पक्के खाले की निर्माण कार्य विभागीय डिजाइन एवं स्पेशिफिकेसन के अनुसार (समस्त सामग्री सीमेंट सहित ठेकेदार की होगी)							
1	चक 2 एक्स	28.18	56360 / –	14090 / –	500 / –	1000 / –	5 माह
2	चक 1 वी–II	29.53	59060 / –	14765 / –	500 / –	1000 / –	5 माह
4	चक 11 एस	41.59	83180 / –	20795 / –	500 / –	1000 / –	5 माह
5	चक 12 एस	24.59	49180 / –	12295 / –	500 / –	1000 / –	5 माह

1. निविदा प्रपत्रो को वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in. से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओ में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलैक्ट्रोनिक फारमेट मे वेबसाइट **http://www.eproc.rajasthan.gov.in. पर जमा करायें। यह निविदा वेबसाईट** http://www.deprcline.org तथा विभागीय वेबसाईट http://www.cad.rajasthan.gov.in. पर देखी जा सकती है।
2. निविदा प्रपत्रो हेतु आवेदन / डाउनलोड की अवधि दिनांक 05.02.2018 प्रातः 10.30 बजे से 06.03.2018 सांय 3.00 बजें तक बजे तक होगी।
3. (अ) निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in. पर दिनांक 06.03.2018 सांय 3.00 बजे तक जमा /अपलॉड कराये जा सकते है एवं प्राप्त तकनीकी निविदाएं इलैक्ट्रोनिक फारमेट मे वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in. पर दिनांक 07.03.2018 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेंगी।

   (ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रकिया ऑन लाइन होगी।

   (स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाऐं नही खोली जा सकती है तो इसके अगले कार्यदिवस शेष निविदाए खोलेने का कार्य जारी रखा जायेगा।

   (द) उपरोक्त सारणी के कॉलम 4 मे दर्शायी गई धरोहर राशी अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष मे भुगतान योग्य बैंक चैक / डीडी संलग्न करनी है।
4. कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है।
5. कार्यो से संबधित निविदा प्रपत्र को किसी भी कार्य दिवस मे दिनांक 05.02.2018 प्रातः 10.30 बजे से 06.03.2018 सांय 3.00 बजें तक देखा जा सकता है।
6. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क / धरोहर राशी डिमाण्ड ड्राफट के रूप मे दिनांक 06.03.2018 को सांय 3.00 बजे तक जमा करवाना आवश्यक है।
7. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त समवन्धी व उनके पति / पत्नि) कार्य से संबंधित वृत अथवा खण्ड मे खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
8. राज्य सरकार मे किसी भी अभियान्त्रिकी विभाग मे किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृति के दो

वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप मे कार्य नही कर सकेगें। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियो मे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां सेवा लेने से पहले अनुमति नही ली है तो अनुबन्ध रदद् किया जा सकेगा।

9. निविदादाता इन प्रपत्रो को डाउनलोड कर सकते है। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमाण्ड ड्राफट के रूप मे इस कार्यालय मे निर्धारित तिथि तक जमा करवाना आवश्यक है।

10. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

11. आर.पी.डब्लयू ए–100 की समस्त शर्ते मान्य होगी।

12. संवेदक द्वारा उक्त कार्यो के लिए निर्धारित मशीनरी एवं साज समान जो निविदा की स्पेशल कन्डीशन मे वर्णित है को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण प्रत्र देना होगा।

13. कार्य पूर्ण करने की अवधि मे मानसून अवधि सम्मलित है।

14. कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइबिलिट पीरियड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात एक पूरी वर्षा की समाप्ति या कार्य पूर्ण करने की अवधि के तिथि के 6 मास पश्चात तक जो भी पश्चातवर्ती हो तक रहेगा।

15. मोर्टार एवं कंकरीट मिक्सींग हेतु पावर मिक्सर का उपयोग अनिवार्य है।

16. नाका शटर एवं फ्रेम यदि विभाग के पास उपलब्ध होने पर उनका उपयोग अनिवार्य होगा। विभाग के पास उपलब्ध होने पर संवेदक को भुगतान नही होगा।

17. निविदा खोलने की दिनांक से निविदा स्वीकृत हेतु मान्य अवधि तक यदि निविदादाता अपनी निविदा में कोई संशोधन करता है अथवा निविदा वापिस लेता है तो उसकी धरोहर राशी जब्त कर ली जावेंगी।

18. **वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ–1 एफ.डी / जीएफएण्डएआर / 2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19 / 2011) के अनुसार रू. 50.00 लाख तक 500 / – रूपये व 50.00 लाख से अधिक 1000 / – रू. की राशि अतिरिक्त प्रकिया शुल्क डिमाण्ड ड्राफट के रूप मे देय होंगी। यह डिमाण्ड ड्राफट** मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस.एल. के पक्ष मे जयपुर मे भुगतान योग्य होना चाहिए।

19. ई–टेण्डिरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश

(अ) इन निविदाओ में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रो को इन्टरनेट साइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in. से डाउनलोड कर सकते है।

(ब) निविदा में भाग लेने वाले निविदादातो को इन्टरनेट साईट http://www.eproc.rajasthan. gov.in. पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निविदा मे भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टीफिकेट इनफारमेशन टैकनोलोजी एक्ट–2000 के तहत प्राप्त करना होगा। जो इलैक्ट्रोनिक निविदा मे साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टीफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदाताओ के पास पूर्व मे वैध डिजिटल सर्टीफिकेट है, नया डिजिटल सर्टीफिकेट लेने की आवश्यकता नही है।

(स) निविदादाताओ का निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट मे उपरोक्त वैबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नही होगें उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जायेगें। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म मे स्वीकार नही होगा।

(द) ऑनलाइन निविदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त कम सं. 3 के अनुसार खोली जायेगी।

(य) इलैक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रो को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें की निविदा प्रपत्रो से सम्बधित सभी आवश्यक दस्तावेजो की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रो के साथ संलग्न कर दी गई है।

(र) कोई भी टैण्डर इलैक्ट्रोनिकली जमा कराने मे किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेवार विभाग नही होगा।

(ल) टेण्डर के प्रपत्रो मे आवश्यक सभी सूचियों को सपुर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।

20. संविदाकर्ता / ठेकेदार द्वारा भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियो एवं सेवा शर्ते विनि) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों का पंजियन करवाना होगा तथा श्रमिको का उक्त अधिनियम के

प्रावधानो के अन्तर्गत देय हित लाभ व सुविधाए उपलब्ध करवाई जावेगी। निर्माण कार्य की लागत का 1 प्रतिशत उपकर अधिनियम के अन्तर्गत काटा जायेगा।

21. शर्तयुक्त निविदा मान्य नही होगी।

22. फर्म द्वारा टैण्डर अपलोड करने के बाद यदि सम्पूर्ण निविदा प्रकिया मे भाग नही लिया जाता है तो भी एम डी आर आई एस एल जयपुर की निर्धारित फीस रू. 500/– व रू. 1000/– का डीडी अनिवार्य रूप से खण्ड कार्यालय मे जमा करवाना होगा। अन्यथा फर्म के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

Sd/-
अधिशाषी अभियन्ता
गंगनहर ओ.एफ.डी. खण्ड–II
सि.क्षे.वि. श्रीगंगानगर

क्रमांकः–लेखा/2017–18/ 203/30.01.18 दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है।

1 श्रीमान आयुक्त क्षेत्रीय विकास इगानप बीकानेर।
2 श्रीमान मुख्य अभियन्ता, (पश्चिम), सी.ए.डी., बीकानेर।
3 श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता गंगनहर ओ.एफ.डी. वृत्त सि.क्षे.वि. बीकानेर/हनुमानगढ/श्री गंगानगर।
4 श्रीमान नोडल ऑफिसर (वेबसाईट) एवं अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक वास्ते क्षेत्रीय विकास आयुक्त इ. गा.न.प बीकानर को प्रस्तुत कर निवेदन है कि ई–निविदा सूचना सं. 06/2017–18 को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।
5 श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता OFD Div-I Bikaner, Gang nahar OFD Div-V karanpur, Gang nahar OFD Div-I SriVijaynagar, Gang nahar OFD Div-III Suratgarh, SNIP Div-I Hanumanghar, Ganga Nahar O.F.D. Div-VI Suratgarh, Ganga Nahar O.F.D. Div-VII Sriganganagar
6 अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन उत्तर खण्ड/दक्षिण खण्ड/आर.डब्लयू.एस.आर.पी. श्रीगगानगर।
7 सहायक अभियन्ता गंगनहर सि.क्षे.वि. उपखण्ड–5,6,7 व 8 श्रीगंगानगर/केसरीसिंहपुर/पदमपुर।
8 कोन्टरेक्टर एसोसिएशन सा.नि.वि. कैम्पस श्रीगंगानगर/हनुमानगढ/बीकानेर।
9 खण्डीय लेखाकार/वरिष्ठ प्रारूपकार/कैशियर खण्ड कार्यालय।
10 नोटिस बोर्ड

अधिशाषी अभियन्ता
गंगनहर ओ.एफ.डी. खण्ड–II
सि.क्षै.वि. श्रीगंगानगर